"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 577] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1-89/2014/18 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका निगम अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	मंगल पाण्डेय वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	45	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	संत मदर टेरेसा वार्ड
		9	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		10	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
		11	षटपरिया वार्ड
		14	नमनाकला वार्ड
		47	गंगापुर वार्ड
		48	बिशुनपुर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	गोधनपुर वार्ड
		8	फुन्दूरडिहारी सेन्ट्रल वार्ड
		46	संत गहिरा गुरू वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड
		20	भगवान महावीर वार्ड
		30	लोक नायक जय प्रकाश वार्ड
		33	रामानुज वार्ड
		37	महामाया वार्ड
		38	अग्रसेन वार्ड
		40	रफी अहमद किदवई वार्ड
		41	शहीद बिरसा मुण्डा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	16	शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		18	रैदास वार्ड
		22	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		23	शहीद वीर नारायण वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	भगवानपुर वार्ड
		12	माता राजमोहिनी देवी वार्ड
		19	गुरुघासी दास वार्ड
		26	सत्ती वार्ड
		31	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		36	गुरूदास वार्ड
		43	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		44	कबीर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठांकन पत्र कमांक एफ 1–89/2014/18 (1) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–89/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-89/2014/18.- the list of the Reservation of Wards for **Municipal Corporation Ambikapur, distt. Surguja** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961). as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	13	Mangal Pandey Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	45	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	4	St. Mother Teresha Ward
		9	Maharani Laxmi Bai Ward
		10	Bal Gangadhar Tilak Ward
		11	Patpariya Ward
		14	Namnakalan Ward
		47	Gangapur Ward
		48	Bisunpur Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Godhanpur Ward
		8	Funduldihari Central Ward
		46	St. Gahira Guru Ward
5.	Other Backward Class	2	Gurudev Ravindranath Tagore Ward
		20	Bhagwan Maheer Ward
		30	Lok nayak Jaiprakash Ward
		33	Ramanuj Ward
		37	Mahamaya Ward
		38	Agrasen Ward
		40	Rafi Ahmad Kidwai Ward
		41	Shaheed Birsa Munda Ward
6.	Other Backward Class (Female)	16	Shaheed Chandra Shekher Azad Ward
		18	Raidas Ward
		22	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
		23	Shaheed Veer Narayan Ward
7.	Female	1	Bhagwanpur Ward
		12	Mata Rajmohini devi Ward
		19	Guru Ghasidas Ward
		26	Satti Ward
		31	Lal Bahadur Shastri Ward
		36	Gurudwara Ward
		43	Dr. Rajendra Prasad Ward
		44	Kabir Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

[redacted]A SHUKLA, [redacted]puty Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–89/2014/18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत लखनपुर, जिला–सरगुजा** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	महादेव वार्ड
		13	देव तालाब वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	स्वामी विवेकानंद वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	रविद्रनाथ टैगोर वार्ड
		11	कुषाभाऊ ठाकरे वार्ड
		14	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
		8	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		10	सुभाषचंद्र बोस वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–89/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–89/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-89/2014/18 (2) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Corporation Ambikapur, distt. Surguja** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	15	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	1	Mahadev Ward
		13	Dev Talab Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Swami Vivekanand Ward
5.	Other Backward Class	9	Ravindranath tagore Ward
		11	Kushabhau Thakre Ward
		14	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Baal Gangadhar Tilak Ward
7.	Female	3	Chandra Shekher Azad Ward
		8	Dr. Shayama Prasad Mukherjee Ward
		10	Subhash Chandra Bose Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–89/2014/18–(3) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सीतापुर, जिला–सरगुजा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		5	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		7	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		9	लरंग साय वार्ड
		12	आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	8	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		11	संत कबीर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
7.	महिला वर्ग	4	शहीद भगत सिंह वार्ड
		13	गुरूघासीदास वार्ड
		15	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–89/2014/18 (3).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–89/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-89/2014/18 (3) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Sitapur, distt. Surguja** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	2	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	1	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		5	Lal Bahadur Shastri Ward
		7	Dr. Ambedkar Ward
		9	Larang Sai Ward
		12	Azad Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	8	Dr. Rajendra Prasad Ward
		11	St. Kabir Ward
5.	Other Backward Class	Nil	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	Nil	Nil
7.	Female	4	Shahid Bhagat Singh Ward
		13	Guru Ghasidas Ward
		15	Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.